बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–रा0का0II–02 / 2013 1316 खाद्य, पटना / दिनांक 23.02.2016

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– SECC डाटा के अतिम प्रकाशन के पश्चात् लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण कर राशन कार्ड उपलब्ध कराने एवं आधार सीडिंग के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि विभागीय पत्रांक–8136, दिनांक–27.12.2013 एवं पत्रांक–6632 दिनांक–19.08.2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए SECC डाटा के आधार पर लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु व्यापक दिशा–निदेश दिये गये है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कुल 8.62 करोड़ पात्र लाभुकों का डाटा उपलब्ध कराया गया, जिसके विरूद्ध त्रुटियों के कारण 8.57 करोड़ योग्य लाभार्थी गृहस्थियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार से कुल 8.57 करोड़ पात्र लाभुकों के लिए खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा अबतक दिये गये महत्वपूर्ण दिशा–निदेशों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में सभी पात्र पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के लाभुकों को राशन कार्ड विहित प्रक्रिया अपनाते हुए वितरण कराना (पत्रांक–8136, दिनांक 27.12.2013) ।

2. जिला स्तर पर पात्र गृहस्थियों की सूची तैयार करने एवं राशन कार्ड वितरण के दौरान दृष्टिगत कतिपय त्रुटियाँ यथा पात्रता रखने वाले गृहस्थी का नाम सूची में शामिल नहीं रहने एवं मुद्रित राशन कार्डो में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि आदि का ससमय निराकरण करने (पत्रांक– 4187, दिनांक–09.07.2014) ।

3. सरकारी सेवक / आयकर दाता / सेवा कर दाता / तीन पहिया–चार पहिया वाहन मालिक आदि जैसी सुविधा वाले परिवारों के नाम से राशन कार्ड मुद्रित होने संबंधी मामले में विभागीय पत्रांक–03, दिनांक–01.01.2014 के द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करना (पत्रांक–4187, दिनांक–09.07.2014) ।

4. सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सूची में नाम होने के बावजूद राशन कार्ड की मांग करने वाले गृहस्थियों की प्रारूप सूची में अंकित विशिष्टियों की जांच कर उन्हें अवगत कराना (पत्रांक–4187, दिनांक–09.07.2014) ।

5. सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् बढ़े हुए परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना (पत्रांक–6632, दिनांक–9.08.2015)।

6. अन्त्योदय श्रेणी के गृहस्थियों को पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशन कार्डो को वापस करने अथवा रद्द कर उनके लिए नया राशन कार्ड उपलब्ध कराना (पत्रांक–6632, दिनांक 19.08.2015)।

7. जिन अन्त्योदय श्रेणी के परिवारों का राशन कार्ड मुद्रण कराया जा रहा है, उसका नाम SECC आधारित डाटाबेस के पात्र परिवारों की सूची में शामिल रहना (पत्रांक–6632, दिनांक–19.08.2015)।

इस क्रम में जिलों से राशन कार्ड वितरण का प्रतिवेदन एवं सूचनाओं के आधार पर यह पाया जा रहा है कि जिलान्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के अन्तर्गत अलग–अलग राशन कार्ड वितरण प्रतिवेदित नहीं हो रहा है तथा ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हो रही है कि विभाग द्वारा पात्रता के लिए निर्धारित मानक से भिन्न श्रेणी के गृहस्थियों को भी राशन कार्ड प्राप्त हुआ है ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के लाभार्थियों के चयन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत को संशोधित करते हुए 'राज्य सरकार के अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के ग्रुप–D के कर्मी' के स्थान पर 'सरकारी सेवा के अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के ग्रुप–D के कर्मी' को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावे पूर्व में अन्त्योदय परिवारों में छुटे हुए लाभार्थियों, यथा–विशेषकर मुसहर एवं महादलित समुदाय के लाभार्थियों को भी इसमें शामिल करने हेतु सत्यापन की आवश्यकता है। अतः निम्नलिखित कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत कार्य कराया जाएगा :–

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित लाभुकों का सत्यापन – पूर्व में SECC के डाटा के आधार पर लाभार्थियों का सत्यापन का निदेश दिया गया था। इसके आलोक में संलग्न प्रपत्र में राशन कार्ड का सत्यापन एवं डाटा संग्रहण किया जाना है। इस हेतु क्षेत्र स्तर पर अन्य विभागों के कर्मी, यथा–पंचायत सेवक, हल्का कर्मचारी, टोला सेवक, विकास मित्र, किसान सलाहकार इत्यादि की सेवा ली जा सकती है। इन सभी कर्मियों को सर्वेक्षण एवं सत्यापन करने हेतु जिला एवं प्रखंड स्तर पर एकदिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। तदोपरांत निम्न कार्रवाई की जाय :–

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पहचान किये गये लाभुकों का सत्यापन कराते हुए सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा स्क्रीनिंग कराकर अयोग्य/डुप्लीकेट लाभुकों को चिन्हित कर सत्यापनोपरांत उनका राशन कार्ड रद्द किया जाय।

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के पात्र लाभुकों को वितरित किये गये राशन कार्डों की स्थानीय स्तर पर जांच कर ली जाय एवं उनकी पात्रता के अनुसार वितरित किये गये राशन कार्डों की श्रेणीवार एवं जिलावार स्पष्ट संख्या विभाग को उपलब्ध करायी जाय एवं अन्त्योदय अन्न योजना तथा पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों का अलग–अलग डाटा बेस तथा निर्गत राशन कार्ड की संख्या विभाग को उपलब्ध कराई जाय ।

(iii) निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के विपरीत निर्गत राशन कार्ड को चिहिन्त कर रद्दीकरण करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराई जाय। विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के मानक से भिन्न गृहस्थियों को वितरित की गई राशन कार्डों को वापस प्राप्त करने/रद्द करने हेतु सम्यक् कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।

(iv) सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 से चयनित किये गये पात्र लाभुकों के डाटाबेस में Blank field को जांचोपरांत जिलों में Fill up किया जाय तथा समेकित पूर्ण डाटाबेस विभाग को उपलब्ध कराई जाय ताकि e-PDS बेवपोर्टल पर अपलोड कराया जा सके ।

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में लाभुकों का आधार पंजीकरण, आधार सीडिंग –

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में FPS Automation योजना तथा DBT योजना को लागू करने हेतु आधार पंजीकरण तथा आधार सीडिंग की कार्रवाई अभियान चलाकर की जाय।

(ii) आधार पंजीकरण तथा आधार सीडिंग की कार्रवाई हेतु विहित प्रपत्र में सूचनाएँ एकत्रित करते हुए समेकित पूर्ण डाटाबेस में प्रविष्टि किया जाय, ताकि सही लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके (विहित प्रपत्र संलग्न)।

UIDAI के प्रतिवेदन के अनुसार अबतक राज्य में लगभग 65% आधार का पंजीकरण हुआ है एवं 80% वयस्क लाभुकों का आधार पंजीकरण किया गया है। अतः इनका आधार पर सीडिंग e-PDS के डाटा बेस में किया जाना है। आधार सीडिंग सामान्यतः दो रूप से किया जाएगा :-

(A) <u>Organic Aadhaar Seeding</u> – इसके तहत SECC के डाटा बेस के TIN No. के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा/एनपीआर डाटा बेस, जिसमें आधार पंजीकरण नं0 उपलब्ध हो, उसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से TIN No. से मिलानकर सीधे Migrate किया जा सकता है।

(B) <u>In-Organic Aadhaar Seeding</u> – इसमें सीधे लाभुकों से आधार नं0 प्राप्त कर डाटा बेस में प्रविष्टि करना है। इस हेतु संलग्न प्रपत्र की कंडिका 11 एवं 15 में आधार नं0 प्राप्त किया जाना है एवं इसे डाटा बेस में प्रविष्ट कराया जाना है।

(ग) मृत/स्थायी रूप से निवास स्थान परिवर्तित लाभुकों का नाम हटाना एवं नये लाभुकों का नाम शामिल करना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य को निर्धारित लक्ष्य 8.71 करोड़ के विरूद्ध मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार 8.57 करोड़ लाभार्थी का चयन किया गया है। इसके बावजूद भी कतिपय मामलों में कुछ छुटे हुए लाभुकों का चयन किया जाना है। इसके अतिरिक्त SECC के सर्वेक्षण के बाद अनेक लाभार्थी या तो मृत हुए होंगे या स्थायी रूप से उनका निवास–स्थान उन्होंने परिवर्तित कर लिया होगा। वैसे लाभार्थी को डाटा बेस से सत्यापन कर हटाया जाना है। अतः विहित प्रपत्र की कंडिका 6 एवं 15 के लाभार्थियों का भी सत्यापन कराया जाय एवं मृत एवं स्थायी रूप से लाभार्थियों के पहचान हेतु कर्मियों को सत्यापन कार्य हेतु व्यापक प्रशिक्षण किया जाना है। आप अवगत हैं कि लक्षित जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थी सूची एक Dynamic सूची है, जिसमें मृतक एवं अयोग्य लाभार्थियों का नाम सतत रूप से हटाया जाना है एवं नये जन्मे हुए लाभार्थियों का नाम एक विहित प्रक्रिया के तहत जोड़ा जाना है। **लोक सेवा के अधिकार अधिनियम** के तहत राशन कार्ड निर्गत करने की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई है। अतः वैसे सुयोग्य लाभार्थियों को लोकसेवा के अधिकार अधिनियम के तहत विहित प्रक्रिया अपनाते हुए उनका चयन कर e-PDS वेबपोर्टल पर अपलोड कर ही उनका राशन कार्ड निर्गत की जाय।

<u>प्रशिक्षण:–</u> राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों का डाटा बेस एक बहुत बड़ी डाटा बेस है, जिसमें लगभग 85% लोगों को इसके अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। अतः इस डाटा बेस के शुद्धिकरण हेतु सत्यापन करने वाले कर्मियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा :–

(क) राज्य स्तर पर जिला स्तर के दो–दो पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा, जो जिला स्तर प्रत्येक प्रखंड से प्रत्येक पाँच पंचायत पर पर्यवेक्षक स्तर के एक पदाधिकारी को प्रशिक्षित कराया जाएगा, जो प्रखंड स्तर पर इस कार्य में लगाये जाने वाले सत्यापन दल को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण का कार्यक्रम 01.03.2016 से 07.03.2016 तक पूरी कर ली जाएगी।

<u>पर्यवेक्षण:–</u> उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम होगा एवं सत्यापन का काम सही ढंग से हो, अतः जिला स्तर से प्रत्येक प्रखंड के प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता को नोडल पदाधिकारी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पाँच पंचायत पर एक पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारी को पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा जाएगा। जिला स्तर पर जिला आपूर्ति

पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी होंगे, जो जिला पदाधिकारी के निदेश में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर इसका सत्यापन सुनिश्चित करायेंगे।

जिला स्तर पर इसे जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति होगी :–

1. जिला पदाधिकारी — अध्यक्ष
2. अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदा0 — सदस्य
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी — सदस्य सचिव
4. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC — सदस्य

राज्य स्तर पर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी एवं UAIDI में समन्वय स्थापित किया जाएगा।

यह कार्य चरणबद्ध तरीके से समय–सीमा के तहत किये जाने की आवश्यकता है। इसके निमित्त किये जाने वाले कार्यो की समय–सीमा निर्धारित करते हुए चरणबद्ध तरीके से उक्त कार्य को करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आपसे इसका अनुपालन करने की अपेक्षा रखती है :–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	समय–सीमा
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पहचान किये गये लाभुको में से सॉफ्टवेयर के माध्यम से अयोग्य/डुप्लीकेट लाभुकों का डाटाबेस filter कराते हुए समेकित डाटाबेस तैयार करना ।	22.02.2016 से 04.03.2016 तक
2	अयोग्य/डुप्लीकेट लाभुकों के तैयार डाटाबेस तथा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्वांत के विपरीत निर्गत राशन कार्डो को जिला स्तर पर अभियान चलाकर चिन्हित करते हुए नियमानुसार उनके राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई किया जाना तथा प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाना।	05.03.2016 से 21.03.2016 तक
3	सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 से चयनित किये गये पात्र लाभुकों के डाटाबेस में अयोग्य/डुप्लीकेट लाभुकों को हटाने तथा Blank field को भरने संबंधी कार्रवाई करते हुए समेकित पूर्ण डाटाबेस e-PDS बेवपोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जाना।	28.03.2016 से 04.04.2016 तक
4	सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत निर्गत अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त राशन कार्डो का सत्यापन एवं डाटा संग्रहण विहित प्रपत्र में किया जाना । इस हेतु राशन कार्ड डाटा बेस के आधार पर चिन्हित लाभुकों का UIDAI से समन्वय स्थापित कर आधार कार्ड पंजीकरण कराते हुए डाटा संग्रहण की कार्रवाई की जानी है। तत्पश्चात् Aadhar Authentication कराते हुए राशन कार्ड डाटाबेस के साथ आधार सीडिंग की कार्रवाई किया जाना ।	a. जांच/सत्यापन एवं डाटा संग्रहण हेतु राशन कार्ड आधारित विहित प्रपत्र की छपाई – 10.03.2016 से 17.03.2016 तक b. पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के पात्र लाभुकों के राशन कार्डो का विहित प्रपत्र के अनुसार डाटा संग्रहण तथा टीम गठित कर अभियान चलाकर भौतिक सत्यापन – 18.03.2016 से 09.04.2016 तक C. चिन्हित लाभुकों का UIDAI से समन्वय स्थापित कर आधार कार्ड पंजीकरण कराते हुए डाटा संग्रहण की कार्रवाई तथा Aadhar Authentication कराते हुए राशन कार्ड डाटाबेस के साथ आधार सीडिंग की कार्रवाई – 22.02.2016 से 09.04.2016 तक

		D. पात्रता के अनुरूप पूर्विकताप्राप्त एवं अन्त्योदय व वितरित किये गये राशन कार्ड का श्रेणीवार संख्य विभाग को उपलब्ध कराया जाना–11.04.2016 र 20.04.2016 तक

8. आप अवगत होना चाहेंगे कि राज्य को निर्धारित लक्ष्य 8.71 करोड़ लाभार्थी के विरूद्ध मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार पात्र लाभुकों को शामिल किया जा चुका है, फिर भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सुयोग्य लाभुक बचे होने की सूचना प्राप्त हो रही है। ऐसी परिस्थिति में आधार सीडिंग के साथ सत्यापन एवं डाटा संग्रहण का कार्य महत्वपूर्ण हो गया है।

9. इस कार्य हेतु राशि की व्यवस्था विभाग स्तर से की जा रही है, जिससे निर्धारित समय–सीमा में यह कार्य संपन्न हो सके।

10. उपर्युक्त कार्यो में तकनीकी सहयोग जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 देंगे।

कृपया उपर्युक्त निदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक – प्रपत्र ।

मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–रा0का0II–02/2013 1316 खाद्य, पटना/दिनांक 23·02·2016

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–रा0का0II–02/2013 1316 खाद्य, पटना/दिनांक 23·02·2016

प्रतिलिपि – राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

SECC के आधार पर NFSA के अंतर्गत निर्गत राशन कार्ड (PHH / AAY) का सत्यापन एवं डाटा संग्रहण प्रपत्र

जिला : Patna   प्रखंड : Sampatchak   ग्राम पंचायत : Sonagopalpur   ग्राम : Abdullah Chak   गणन ब्लॉक / उपखण्ड: 0061 / 0

1.राशन कार्ड संख्या :- 10280040026000610999   2. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना गृह क्रमांक - 9995   3. कार्डधारी का AHL TIN - 88102800400260000061099

4. परिवार की श्रेणी - ☐ अंत्योदय श्रेणी ☐ पुर्वीकताप्राप्त श्रेणी ☐ अन्य श्रेणी   5. जाति वर्ग - ☐ अनुसूचित जन जाति ☐ अनुसूचित जाति ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ अत्यंत पिछड़ा वर्ग ☐ सामान्य वर्ग

6.कार्डधारी का पूरा नाम :- रजमंती देवी

7.कार्डधारी का उम्र (वर्ष) -   8. मोबाइल संख्या -

9. पति / पिता का नाम : - भुनेश्वर राम   10. पूर्ण आवासीय पता -

11. कार्डधारी का आधार संख्या :- ☐ हाँ ☐ नहीं   कार्डधारी का EID संख्या (आधार संख्या नहीं है तो)

EID का तारीख और समय DDMMYYYY HHMMSS

12. बैंक खाता संख्या :-

Bank IFSC Code   बैंक का नाम :-

शाखा का नाम :-

13. लक्षित जन वितरण प्रणाली के दूकान का विवरण :-

दूकानदार का नाम -		अनुज्ञप्ति संख्या -		मोबाइल संख्या -	
पता				पिन कोड -	

14 . राशन कार्ड में दर्ज परिवार के अन्य सदस्यों का नाम एवं विवरण

	नाम	पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	सम्बन्ध	आधार / EID संख्या	IFSC Code	*बैंक खाता संख्या (यदि है)	*मोबाइल संख्या
1.	रजमंती देवी	भुनेश्वर राम	F	24	विवाहित	पत्नी	Already Filled above	Already Filled above	Already Filled above	Already Filled above
2.	शिवम कुमार	गोनु राम	M	7	अविवाहित	पुत्र				
3.	शिवनी कुमारी	गोनु राम	F	6	अविवाहित	बेटी				

14 . राशन कार्ड में दर्ज परिवार के अन्य सदस्यों का नाम एवं विवरण

नाम	पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	सम्बन्ध	आधार / EID संख्या	IFSC Code	*बैंक खाता संख्या (यदि है)	*मोबाइल संख्या
4. गोनु राम	महेश राम	M	26	विवाहित	मुखिया				

15. अभियुक्ति :

राशनकार्ड संख्या :- 10280040026008109995 कुल सदस्यों की संख्या : 4 गृह क्रमांक : - 9995

*वैकल्पिक - बैंक खाता एवं मोबाइल न० अनिवार्य नहीं है

सत्यापित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

राशन कार्डधारी का नाम एवं हस्ताक्षर